

19/11/18

वकील अमर पट्टा 350/सीएम P 0 0110

कि वहावा पर्व हो। राजवली दिनांक 18-5-18 को पेवा हो।

10/5/18
10/5/17

प्राणी भाज राजवली लेख मजालत आस. सापके
 हाकेस्य वरीजेडी में पेवा हुई। इस आशुभाक
 से जरी मोरिस का लच्छिल अधिक जिये जेका
 (उत्तिये उपस्थित) 8 फालग का 18 फालग पूर्व
 में अलोकक सिद्धांत प्रकरण सायन पक्षी में
 ते लच्छिल वरी की मोटे से 2 नारीय वेशी घा
 काई सायन 350 नरी साया। वरी की मोटे से
 वास पर इस भायस का पेरा जिकारक कि आठ
 सं. 10, 11, 12, 13, 14 व 118 कुल सिद्ध 6 एका
 2-3 50 भूति से कि उत्तिये सं. 1 से 6 कि जिला
 गोन्मारम संके इस पत्ती पत्ती से उके गत
 दर्त हो गई जकत यह अति उत्तिये से 6 से
 पिला जोगम से उके पिला को दूर एक से अंत हुई
 है जिके वरीजण भी उत्तियेकारी। वासि हो
 से वरीजण व तसीकी उत्तियेकारी के 4/5 का (वासा
 बोधित कि जघे। जगवली में मोफुड राजस
 सिद्ध का अलोकक पा पाता जमा कि आशुभा
 सं. 10, 11, 12, 13, 14 व 118 वीले आद
 वरीजेडी राजस सिद्ध में उत्तियेकारी के
 गुण दर्त है जिलाम से जल का ठाठाक
 से पाता जमा कि हाल सं. 10 से 14 व 118
 के लच्छिल सं. 4, 5 मि. व फोकि से उके
 लाखि जगवली सं. 2016 से 2019 का अलोकक
 काने पा पाता जमा कि लाखि सं. 4, 5
 व फो राजस सिद्ध में जोगा पुन कोरिया

उप. खण्ड अधिकारी
 शाहपुर, जिला - रायपुर (राज.)

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय **बिरेदीप-९** बनाम **जुद्धामा चौधरी**
 उप (उप) अधिकारी आदित्य
 केस संख्या **198/2014**

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
1015/18		<p>के नाम का नाम विरामे दर्ज थी / वरिष्ठता यह साबित करने के अफसं श्राह है कि विवाह आवाजी उनके पूर्वक दोदूरम से उक्त एक दुई है जबकि उरिवाहिन ने अपने अवकाश के संकित किया है कि वास्तव में वरिष्ठता के अर्थ को ही नहीं है तथा यह आवाजी उनके पिताने अलग पोजा से होने के बाद वरिष्ठता की है।</p> <p>इस प्रकार वास्तव में संकित विवाह आवाजी वरिष्ठता के पूर्वक से अस्त होगा तथा सोनमा उनके के गान् अफत (ज. एंग) साबित नहीं पाये जाते से अथवा वरिष्ठता यह साबित करने के अफसं श्राह है कि वास्तव में उनके पूर्वक दोदूरम से आदी होकर हेली विवाह में वरिष्ठता बाद पर अथवा वरिष्ठता जाते है अथवा अफसं से अफत होकर अथवा अफत हो।</p> <p style="text-align: right;">(रवि विजय) उप (उप) अधिकारी आदित्य, अफत गुरुपुर (राज.)</p>	